न्यायालय अति0जिला कलेक्टर,टोंक

(सुखराम खोखर,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 23/2019

प्रविष्टि दिनांक 04.07.2019

चांद मौहम्मद पुत्र श्री सुलेमान खां जाति मुसलमान निवासी लाम्बा खुर्द तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राज0

–अपीलान्ट

बनाम

1–शकंरलाल पुत्र श्री रामनिवास जाति नायक निवासी किशनपुरा तहसील मालपुरा जिला टोंक

2–तहसीलदार टोडारायसिंह जिला टोंक राज0

–रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरूद निर्णय न्यायालय तहसीलदार टोडारायसिंह दिनाक 25.06.2019 मि0न0 02/2019 उनवानी शकंरलाल बनाम रतन

उपस्थिति : (1) श्री विनोद सेन,अभिभाषक अपीलान्ट

(2) श्री पवन जैन अभिभाषक रेस्पोडेण्ट संख्या 1

निर्णय **दिनांक 19.12.2019**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि तहसीलदार टोडारायसिंह द्वारा दिनांक 25.06.2019 को अपीलाण्ट को आराजी खसरा नंबर 417 रकबा 0.72 है0 वाके ग्राम लाम्बा खुर्द पर अपीलाण्ट का नाजायज कब्जा मानकर राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 बी के तहत बेदखल करने का आदेश पारित किया गया है। अपीलाण्ट ने तहसीलदार टोडारायसिंह के उक्त आदेश को विधि विधान एंव तथ्यो को प्रतिकूल बताते हुए निरस्त करने हेतु यह अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिये सम्मन की गई। अपीलाधीन आदेश की पत्रावली तलब की गयी। प्रकरण मे अभिभाषक अपीलाण्ट व अभिभाषक रेस्पोडेण्ट संख्या–1 की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय पारित करने से पूर्व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन नही कर अपना निर्णय पारित किया है जो गलत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका कि रिपोर्ट पटवारी हल्का से दिनांक 14.05.2019 को तलब की गई है जिसमे पटवारी ने अंकित किया है कि ख0नं0 408 रकबा 0.05 है0 व ख0 नं0 417 रकबा 0.72 है0 का खातेदार काश्तकार शकंर लाल राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। ख0नं0 408 पर मौके पर स्वंय खातेदार का कब्जा काश्त है तथा ख0नं0 417 पर अन्य व्यक्तियो का कब्जा काश्त है। जिसमे अपीलांट का भी नाम है। उक्त मौका रिपोर्ट पर कही पर भी अपीलांट के हस्तार नही है। ख0नं0 417 व 418 की सीमाऐ आपस मे मिली हुई है तथा ख0नं0 418 अपीलांट द्वारा क्रय की गई है जिसकी तरमीम नही हुई है और न ही उक्त आराजी का अपीलांट ने कभी सीमाज्ञान करवाया है।इस

अति0 जिला कलक्टर
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

Scanned by CamScanner

प्रकार खं0नं0 417 व 418 की सीमाऐ निर्धारित नही है। पटवारी हल्का द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार करने मे उक्त सीमाऐ का हवाला नही दिया है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निवेदन किया था कि यदि उक्त खं0नं0 417 व 418 का सीमाज्ञान करवा लिया जावे और उसके पश्चात रेस्पो0 की भूमि अपीलांट के कब्जे मे पाई जाती है तो अपीलांट उस समय ही उसकी भूमि सम्भला देगा। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.06.2019 को निरस्त कर विवादित खं0नं0 का नियमानुसार टीम गठित कर सीमाज्ञान करने हेतु पत्रावली रिमाण्ड की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट संख्या–1 ने जवाबी बहस मे कथन किया कि जमाबंदी सम्वत 2074–2077 वाके ग्राम लाम्बाखुर्द तहसील टोडारायसिंह मे खसरा नम्बर 408 रकबा 0.05 है0 व खसरा नम्बर 417 रकबा 0.72 है0 शकंरलाल पुत्र रामनिवास जाति नायक सा. किशनपुरा तहसील मालपुरा के नाम दर्ज रिकार्ड है। खसरा नम्बर 408 व 417 रेस्पोडेण्ट संख्या–1 की खातेदारी की भूमि है, उक्त आराजीयात मे से कुछ भूमि पर अपीलाण्ट का अनाधिकृत कब्जा काश्त होने के फलस्वरूप अपीलाण्ट को बेदखल कर शास्ति कायम की गई है। रेस्पोडेण्ट अनुसूचित जाति का सदस्य है तथा अपीलाण्ट सामान्य जाति का सदस्य है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य है।

हमने अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं अपीलाधीन आदेश की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। जमाबंदी सम्वत 2074–2077 वाके ग्राम लाम्बाखुर्द तहसील टोडारायसिंह मे खसरा नम्बर 408 रकबा 0.05 है0 व खसरा नम्बर 417 रकबा 0.72 है0 शकंरलाल पुत्र रामनिवास जाति नायक सा. किशनपुरा तहसील मालपुरा के नाम दर्ज रिकार्ड है। जिससे सिद्व है कि खसरा नम्बर 408 व 417 रेस्पोडेण्ट संख्या–1 की खातेदारी की भूमि है। अपीलाण्ट सामान्य जाति के सदस्य है ने रेस्पोडेण्ट अनुसूचित जाति के सदस्य की खातेदारी की उक्त भूमि पर बिना किसी वैधानिक अधिकार के अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है। अपीलाण्ट का अनाधिकृत रूप से कब्जा काश्त है जो राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 (बी) के तहत अतिचारी है। अपीलार्थी सीमा विवाद का तथ्य बता रहा है जबकि धारा 183 बी के तहत पारित अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना मे मौके पर कब्जा देते समय ख0नं0 417 की मौके पर सीमांकन करके ही रेस्पो. संख्या–1 को कब्जा दिया जाना है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अन्तर्गत धारा 183 बी राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर तहसीलदार टोडारायसिंह का निर्णय दिनांक 25.06.2019 यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुखराम खोखर)
अति0जिला कलेक्टर, टोक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukh Ram Khokher
Date: 2020.01.06 17:10:23 IST
Reason: SelfAttested
Location: